नि0 - 3608/2018/सिंगरौली/भू-रा0 (302) (426)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

ईश्वरदीन यादव पिता जगन्नाथ यादव (मृतक) विधिक वारिसानः—

1. मुस0 कैलसुआ देवी बेवा पत्नी स्व0 ईश्वरदीन यादव
2. सभापति यादव पिता स्व0 ईश्वरदीन यादव दोनो निवासी ग्राम अमलकपुर तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

अधि0 श्री राकेश कु0 तिवारी द्वारा पेश। 11-6-18

बनाम

1. लक्षिमन तनय रामचरण बैगा निवासी ग्राम अमलकपुर तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्तागण
2. म0प्र0 शासन

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण कमांक 212/निगरानी/2010–2011 पारित आदेश दिनांक 25/09/2017

पुनरीक्षण/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण/निगरानी प्रस्तुत है :—

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम अमलकपुर तहसील सरई जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश का निवासी है जो गरीब भूमिहीन ब्यक्ति था ग्राम अमलकपुर तहसील सरई स्थित आराजी खसरा कमांक 57/1 रकवा 0.98, भूमि जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि थी जिस पर निगरानीकर्ता का पुस्तैनी रूप से कब्जा दखल चला आ रहा है जिसका सुधार भी निगरानीकर्ता के पति व पिता द्वारा कराया

(303)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग० 3608/2018/ भू.रा. जिला– सिंगरौली

ईश्वरदीनयादव विरुद्ध लछिमन बैगा

(1)	(2)	(3)
17.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 212/(निगरानी)10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-9-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	